

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in Email:- buaff2023@gmail.com

क्रमांकः. २२ /अकादमी/संबंद्धता/२०२४

भोपाल दिनांक:03-01-2024

**COLLEGE CODE-169** 

PRINCIPAL,

**Affiliation Renewal** (2023-24)

LAL BAHADUR SHASTRI PROFESSIONAL STUDIES. LBS COLLEGE CAMPUS, HANDIA ROAD, HARDA (M.P.) (PRIVATE)

विषयः- सत्र २०२३-२४ हेत् स्थाई /अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 25-04-2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांकः 21-12-2023 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यकर्मो/विषयों को सत्र 2023-24 हेतु स्थाई/अस्थाई संबंद्धता की निरन्तरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SEAT NO.
1	BED	100

## शतः₋

- (1) प्रदत्त अस्थाई संबंद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की मान्यता निर्धारित संबंद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापित प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित (2) शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्रों की निरन्तरता/संबंद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता/निरन्तरता मान्य योग्य नही होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- बिना संबंद्धता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नही होगा । उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। (3)
- विश्वविद्यालय परिनियम २७,२८ तथा परीक्षा अध्यादेश ५,६,७ का पालन करना होगा। (4)
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति (5)पत्र, मय ज्वाईनिंग रिर्पोट जिसमें शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय की मेल आई डी buaff2023@gmail.com एक्सेल शीट में तथा विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालयं का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंड से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।(अशासकीय महाविद्यालय हेतु) (6)
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा(अशासकीय (7)महाविद्यालय हेतू)
- संबंधित पाद्मकमों हेतु FDR की मूल प्रति पुनरीक्षित दर से वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यकर्मो (8)की संबंद्धवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

भोपाल दिनांक 03-01-2024

पृ.कं. २३/अकादमी/संबंद्धता/२०२४

पतिलिपि:-

- 1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- 3. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
- 4. प्रभारी,वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेत्र ।
- 5. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- 6. कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव,(अकादमी)